



कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

क्रमांक
प्रति,

क/भू-अर्जन/ 01/2011

जगदलपुर, दिनांक 30/01/2015

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

अटल बिहार योजना अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी निर्माण हेतु ग्राम पण्डरीपानी तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर की निजी भूमि कुल रकबा 4.34 हेक्टेयर कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, बस्तर संभाग जगदलपुर के पक्ष में अर्जन के परिपेक्ष्य में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-4 (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त प्रतिवेदन कलेक्टर, बस्तर के वेबसाईड पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर, जिला बस्तर

कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-जगदलपुर द्वारा अटल विहार योजनांतर्गत आवासीय कालोनी निर्माण के लिए अर्जन किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम पंडरीपानी तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा क्रमांक 73, 74, 40 रकबा 4.34 हेक्टेयर के अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के संदर्भ में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन है :-

1. ग्राम पंडरीपानी तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा क्रमांक 73,74,40 रकबा 4.34 हेक्टेयर का अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण होता है ।
2. ग्राम पंडरीपानी तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा क्रमांक 73,74,40 रकबा 4.34 हेक्टेयर का अर्जन किए जाने पर कोई कुटुम्ब/परिवार विस्थापित नहीं होते अतएव प्रभावित कुटुम्ब/परिवार की संख्या निरंक है ।
3. ग्राम पंडरीपानी तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा क्रमांक 73,74,40 रकबा 4.34 हेक्टेयर का अर्जन किए जाने से उक्त क्षेत्र पर कोई सार्वजनिक उपयोग की भूमि, भवन अथवा अन्य कोई सम्पत्ति प्रभावित नहीं होगा ।
4. अटल विहार योजनांतर्गत आवासीय कालोनी निर्माण के लिए अर्जन किए जाने के लिए न्यूनतम सीमा तक भूमि अर्जन की जा रही है ।
5. चयनित स्थल के अलावा अन्य कोई भूमि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त/साध्य नहीं पाया गया ।
6. इस योजना (कार्य) से कोई भी सामाजिक समाघात नहीं हो रहा है अतएव, उन सामाजिक समाघातों को ठीक/दुरुस्त करने पर कोई व्यय होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं है ।
7. अटल विहार योजनांतर्गत आवासीय कालोनी निर्माण के लिए ग्राम पंडरीपानी तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा क्रमांक 73,74,40 रकबा 4.34 हेक्टेयर का अर्जन किए जाने से सामुदायिक सम्पत्ति जैसे लोक परिवहन, जल निकास, पेयजल के श्रोत, पशुओं के पेयजल श्रोत, जलाशय, चारागाह, बागान इत्यादि के साथ ही साथ जन समुदाय की सुविधा के श्रोत जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकान, खाद्यान भण्डारण केन्द्र, विद्युत केन्द्र, विद्यालय, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, धार्मिक स्थल, पारम्परिक जन जाति संस्थान, कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

- 8 प्रस्तावित भूमि का अर्जन लोकहित में वांछनीय है एवं इस पर ग्रामवासियों की आम सहमति है ।
- 9 निर्माण कार्य सार्वजनिक हित में किया जा रहा है ।
- 10 प्रस्तावित भूमि के अर्जन पर प्रभावित खातेदार एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा की बैठक में अपना पूर्ण सहमति व्यक्त किया गया है ।
- 11 अर्जित की जा रही भूमि हेतु शासन से प्राप्त होने वाली मुआवजा से प्रभावित खातेदार व ग्रामवासी पूर्णतः सहमत हैं ।



प्रतिक कुमर,
महिला. पॉलिटेक्निक कॉलेज
JAGDALPUR (Bastar) C.G.
जगदलपुर, जगदलपुर


17-12-14

Assistant Engineer
Chhattisgarh Housing Board
Sub-Division-1, JAGDALPUR (C.G.)
उपसभाग-जगदलपुर

11/14
राजस्व निरीक्षक
Jalgaon (2)

स. प्र. मी.
सरपंच

ग्राम पंचायत, मंडरीपानी
जिला, बस्तर (छ.ग.)
ग्राम पंचायत, मंडरीपानी

17/12/2014

मरसु पि. गोठुम



नामांकित प्रभावित खातेदार